संख्या–1177/81–2–2020–800(125)/2016

प्रेषक,

डा0 दीपक कोहली,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक 11 अगस्त, 2020**

विषय–जनपद–देवरिया में सोनौली–बलिया मार्ग एस0एच0–1 किमी0 153–154 के मध्य ग्राम–अहिलवार बुजुर्ग, तहसील–सदर, जनपद–देवरिया में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। **(प्रस्ताव सं0–(एफ.पी./यू.पी./अदर्स/16134/2015)**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र सं0–8बी/यू0पी0/06/46/2017/एफसी/72, दिनांक 11.08.2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी। तत्क्रम में उक्त आपत्तियों का निराकरण कर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र संख्या–2221/11–सी/एफ.पी./यू.पी./others/16134/2015, दिनांक 17–6–2020(प्रति संलग्न) शासन में उपलब्ध कराया गया है।

2– अतएव विषयगत प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 17.06.2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये संगत अभिलेखों सहित प्रस्ताव मूल रूप में (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये अनुरोध है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के तहत अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि (मूल प्रति)

भवदीय,
Kohli
(डा0 दीपक कोहली)
संयुक्त सचिव

संख्या–1177 (1)/81–2–2020–तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ।
2– मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
3– जिलाधिकारी, देवरिया।
4– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया।
5– डिवीजनल मैनेजर, नायरा एनर्जी लि0 (एस्सॉर ऑयल लि0) अरिहंत काम्लेक्स, सिगरा, वाराणसी।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 दीपक कोहली)
संयुक्त सचिव